

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH; JABALPUR


Endt. No...C/2607.../1
III 6-3-85-Part-IX

Jabalpur, dated...25.../06/2016

Copy of order no.1971/21-B(II) dated 03-06-2016 received from Law Department Bhopal , regarding termination of Smt. Gyan Devi Verma, Counsellor , Family Court Rewa is forwarded to :-

- (i) Principal Judge, Family Court, Rewa
- (ii) Smt. Gyan Devi Pandey ,Counsellor , Family Court Rewa
- (ii) The Principal Accountant General, Accounts/Haqdari, M.P. Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior(M.P.)
- (iii) The Accountant General, Gwalior
- (iv) The Registrar, High Court of M.P. Bench at Indore/Gwalior
- (v) The Director, JOTRI, Abolished SAT Building, Jabalpur
- (vi) P.P.S. to Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
- (vii) Member Secretary, M.P. State Legal Services Authorities, 574, South Civil Lines, Jabalpur,

For information & necessary action.


(VIVEK SAXENA)
OSD (DE)

:-:

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

आदेश

भोपाल, दिनांक /05/2016

पंजी क्रमांक 1971/21-ब(दो), इस विभाग के आदेश क्रमांक फा 17(ई) 59/2002/21-ब(एक)06 भोपाल दिनांक 12.12.2006 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत स्थापित परिवार न्यायालय रीवा में कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था।

कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय (परिवार न्यायालय) के प्रधान न्यायाधीश ने श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय की परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किये जाने की सिफारिश की है।

प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 20.11.2014 पर विचार करने के उपरांत राज्य सरकार, एतद्द्वारा परामर्शदाता के पद पर नियुक्त श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय की नियुक्ति को समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 पंजी क्रमांक 1971/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक /05/2016

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर उनके क्रमांक ए/718 दिनांक 10.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - 2- प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ,
 - 3- श्रीमती ज्ञान देवी पाण्डेय कुटुम्ब न्यायालय रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
 - 4- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(Handwritten Signature)
05/06/16

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

15-27
111311
111311